न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी:- मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

(1) प्रकरण संख्या: 12/2019

(2) दायरा दिनांक: 31.7.2019

सायल

स्टेट जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही

बनाम

गैरसायल

किशनलाल पुत्र भुपाजी, जाति- हीरागर, निवासी- आबकारी मोहल्ला, आबूरोड, पुलिस थाना आबूरोड शहर, जिला- सिरोही

"इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975"

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. गैरसायल किशनलाल

-: निर्णय :- दिनांक 11 सितम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल किशनलाल पुत्र भुपाजी, जाति- हीरागर, निवासी- आबकारी मोहल्ला, आबूरोड, पुलिस थाना आबूरोड शहर, जिला- सिरोही के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी एवं जुआं के अपराध करने का आदि है। जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खिलाता रहता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। गैरसासयल का जुआ खेलने व खिलाने से आम लोगों व बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु लोग तैयार नही होते है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना आबूरोड शहर में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 7 प्रकरण दर्ज हुये है तथा इन 7 प्रकरणों में गैरसालय के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा/जुर्माने से दण्डित किया है। गैरसायल से आम जनता में भय व्याप्त है व लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। अत: गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर जिले से निष्कासित किया जावे।

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस के साथ गैरसायल पर लगाये गये आरोपों की प्रति भी तामिल करवाई गई। जिस पर गैरसायल प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 11.9.2019 को उपस्थित हुआ। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में गैरसायल द्वारा आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल को सुना गया। सहायक लोक अभियोजक ने

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

बहस के दौरान इस्तगासें में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान-पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत पुलिस थाना आबूरोड शहर में 7 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये एवं इन सभी प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है तथा जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त है। इसकी ऐसी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कई गरीब परिवार अपनी जमा पूंजी जुएं में गवा चुके है। गैरसायल के ऐसे आपराधिक कृत्यों से आम जन में भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने से कतराते है, इसलिये गैरसायल की इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैरसायल को जिला सिरोही से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल ने अनुरोध किया कि गैरसायल ने उक्त सभी प्रकरणों में ट्रायल से बचने के लिये संबंधित न्यायालय में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया है। गैरसायल के विरुद्ध कोई गंभीर अपराध या शांति भंग बाबत कोई मुकदमा दर्ज नही है। गैरसायल वर्तमान में मजदूरी करके शांति पूर्वक जीवनयापन कर रहा है, गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। गैरसायल से आमजन में भय व्याप्त नही है, इसलिये प्रस्तुत कार्यवाही बन्द की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल किशनलाल पुत्र भुपाजी, जाति- हीरागर, निवासी- आबकारी मोहल्ला, आबूरोड, पुलिस थाना आबूरोड शहर, जिला- सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना, आबूरोड शहर में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 251/6.11.2003, 151/22.2.2016, 130/24.9.2017, 38/1.2.2018, 94/26.4.2018, 7/5.1.2019 व 67/12.3.2019 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत गैरसालय के विरुद्ध दर्ज उक्त सभी प्रकरणों में बाद तफतीश गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये है, जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है। जिनमें से अपराध संख्याः 7/5.1.2019 व 67/12.3.2019 की प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्याः 7/5.1.2019 व 67/12.3.2019 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 12.3.2019 व 05.4.2019 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखंते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल किशनलाल

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

पुत्र भुपाजी, जाति- हीरागर, निवासी- आबकारी मोहल्ला, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला- सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन (पन्द्रह दिन) की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड़ शहर से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड़ शहर की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय/आदेश सुनाया गया।

माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(मुकेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज०)